(b)possessing the educational qualifications and experience as under: Essential: (I) (i) B.E. or B.Tech. in Oil Technology from a recognized University or Institute; or (ii) Degree in science with post graduate diploma in sugar technology from a recognized University or Institute and; (II) five years experience of working in sugar or edible oils sector in an institute or organization under the Central Government or State Governments or Public Sector Undertakings or Statutory or autonomous bodies or recognised Universities or research Institutions. **Desirable:** M.Sc. in chemistry or post graduate degree in Oil Technology from a recognized University or Institute. **Note 1**: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organizations or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation including short term contract shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13
Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on Deputation including short term contract.

[F. No. A-12018/1/2017-Estt.]

RAJIV MAHENDRU, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2019

सा.का.नि. 241.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर (वर्ग -3 पद) नियम, 1958 को, जहां तक उनका संबंध ग्लास ब्लोअर के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में ग्लास ब्लोअर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर (ग्लास ब्लोअर) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य शैक्षिक अर्हताएं आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—कोई व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति .— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयुसीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
ग्लास ब्लोअर	01*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 5 (29,200– 92,300 रुपए)

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। **टिप्पण: 1** केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण: 2** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंकित तारीख होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप खंड, अंदमान और	**आवश्यक:** (i) वैज्ञानिक ग्लास ब्लोइंग में डिप्लोमा के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; वांछनीय: वैज्ञानिक ग्लास उपकरण के विनिर्माण में एक वर्ष का अनुभव **टिप्पण 1**: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों को लेखबद्ध करके सक्षम प्राधिकारी के विकेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2** :अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा

	निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है **टिप्पण: 3** रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती के मामले में आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम मांगने के लिए कहा गया है।	सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु-सीमा और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित)/आमेलन द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है
(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य-क्षेत्र अथवा पब्लिक सैक्टर के उपक्रम अथवा स्वायत्तशासी अथवा कानूनी संगठन अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान के अधिकारी, जो (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25,500 रूपए – 81,100 रुपए) में नियमित आधार पर उक्त श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख) स्तम्भ 7 के अधीन विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो। **टिप्पण 1-:**केवल केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी आमेलन आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे। **टिप्पण:-2** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित	**पुष्टीकरण पर विचार हेतु विभागीय पुष्टीकरण समिति में निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-** 1. आचार्य, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - अध्यक्ष 2. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य 3. सहायक आचार्य, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य

किसी अन्य कैडर – बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि शामिल है, साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण:-3** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

वे परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/18/2016-एसए]

राजीव महेन्द्रू, उप सचिव

New Delhi, the 24th July, 2019

G.S.R. 241.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Sugar Institute, Kanpur (Class III posts) Rules, 1958, in so far as they relate to the post of Glass Blower, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Glass Blower, in the National Sugar Institute, Kanpur under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, namely :-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the National Sugar Institute, Kanpur (Glass Blower) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Glass Blower	01* (2019) *Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 5 (Rs.29,200-92,300)

Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Not applicable	Between 18-27 years **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note-2:** In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which Employment Exchanges is asked to submit the names.	**Essential:** 12th class pass with Diploma in Scientific Glass Blowing Desirable: One years' experience in manufacturing of Scientific Glass Apparatus. **Note 1:** Qualification is relaxable at the discretion of the Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority or Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidate from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	Deputation (including short term contract)/absorption failing which by direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, the grade from which promotion or deputation/ absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
(11)	(12)
Deputation (including short-term contract). Officers under the Central or State	**Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of:-** 1. Professor, National Sugar Institute, Kanpur. -Chairman

Governments or Union Territory or recognized research institute or University/ public sector undertaking or semi Government or autonomous of statutory organisation;- (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 4 (Rs 25500-81100) in pay matrix or equivalent, in the parent cadre or department; and possessing the educational qualifications and experience as prescribed under column 7 **Note 1:** Only officers of the Central Government or State Governments or Union Territories shall be eligible for consideration for appointment on absorption basis. **Note 2:** The Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	2. Senior Administrative Officer, National Sugar Institute Kanpur. -Member 3. Assistant Professor, National Sugar Institute, Kanpur- Member

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted.
(13)
Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F.No. A-12018/18/2016-SA]

RAJIV MAHENDRU, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2019

सा.का.नि. 242.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, आचार्य और सहायक आचार्य, समूह “क” पद भर्ती नियम, 2016, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, आचार्य कार्बनिक रसायन, सहायक आचार्य कार्बनिक रसायन, और कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (कार्बनिक रसायन)